सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
भाद्र 25, सोमवार, शाके 1935–सितम्बर 16, 2013 *Bhadra 25, Monday, Saka 1935–September 16, 2013*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 16, 2013

संख्या प. 2 (35) विधि/2/2013:–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 15 सितम्बर, 2013 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुन्झुनू अधिनियम, 2013
(2013 का अधिनियम संख्यांक 31)

[राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 15 सितम्बर, 2013 को प्राप्त हुई]

राजस्थान राज्य में झुन्झुनू में क्रीड़ा विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिए और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुन्झुनू अधिनियम, 2013 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह 10 जून, 2013 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "विद्या परिषद्" से विश्वविद्यालय की, धारा 24 के अधीन यथा-गठित, विद्या परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) "सलाहकार परिषद्" से धारा 20 के अधीन गठित विश्वविद्यालय सलाहकार परिषद् अभिप्रेत है;

(ग) "बोर्ड" से धारा 22 के अधीन गठित विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) "नियंत्रक" से धारा 15 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) "संकाय" से विश्वविद्यालय का कोई संकाय अभिप्रेत है;

(च) "वित्त समिति" से धारा 28 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;

(छ) "विहित" से परिनियमों, आर्डिनेन्सों या विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ज) "प्रति-कुलपति" से धारा 13 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का प्रति-कुलपति अभिप्रेत है;

(झ) "कुल-सचिव" से धारा 14 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का कुल-सचिव अभिप्रेत है;

(ञ) "परिनियम", "आर्डिनेन्स" और "विनियम" से धारा 44, 46 और 48 के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के क्रमश: परिनियम, आर्डिनेन्स और विनियम अभिप्रेत हैं;

(ट) "विश्वविद्यालय का छात्र" से सम्यक् रूप से संस्थित किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या संबंधी उपाधि के लिए पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय में नामांकित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ठ) "अध्यापक" से शिक्षा देने या अनुसंधान संचालित करने और उसमें मार्गदर्शन करने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त या मान्यताप्राप्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसे परिनियमों द्वारा अध्यापक होना घोषित किया जाये;

(ड) "विश्वविद्यालय" से धारा 3 के अधीन निगमित राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुन्झुनू अभिप्रेत है;

(ढ) "विश्वविद्यालय विभाग" से विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जाने वाला कोई विभाग अभिप्रेत है।

3. विश्वविद्यालय का निगमन.- (1) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, प्रथम कुलपति, प्रबंध बोर्ड और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य और ऐसे सभी व्यक्ति,जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हो जाते हैं, जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण किये रहते हैं, "राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुन्झुनू" के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे और उसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और उस नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(2) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित और धारित करने, ऐसी किसी भी जंगम या स्थावर सम्पत्ति को, जो उसमें निहित हो या उसके द्वारा अर्जित की जाये, पट्टाकृत, विक्रीत या अन्यथा अंतरित या व्ययनित करने और संविदा करने और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक अन्य समस्त बातें करने के लिए सक्षम होगा:

परन्तु ऐसी सम्पत्ति का ऐसा कोई भी पट्टा, विक्रय, अंतरण या व्ययन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय झुन्झुनू में होगा जो कुलपति का मुख्यालय होगा।

(4) विश्वविद्यालय द्वारा या इसके विरुद्ध वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियों में अभिवचन, कुल-सचिव द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किये जायेंगे और ऐसे वादों और कार्यवाहियों में समस्त आदेशिकाएं कुल-सचिव को जारी और तामील की जायेंगी।

4. अधिकारिता.- विश्वविद्यालय की अधिकारिता का प्रसार विश्वविद्यालय विभागों और इसके संस्थानों और संस्थाओं में होगा और उनमें इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त शक्तियां उसके द्वारा प्रयोग की जा सकेंगी।

5. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.- विश्वविद्यालय, अन्य प्रयोजनों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए स्थापित और निगमित किया हुआ समझा जायेगा-

(i) शारीरिक शिक्षा और क्रीड़ा में शिक्षा, अनुसंधान और ज्ञान का प्रसार करना;

(ii) राज्य में शारीरिक शिक्षा एवं क्रीड़ा को शैक्षिक रूप से सभी स्तरों पर मानीटर करना:

परन्तु इस प्रकार मानीटर किये जाने से, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् के क्रियाकलापों का किसी भी प्रकार से अतिलंघन नहीं किया जायेगा;

(iii) शारीरिक शिक्षा और क्रीड़ा प्रशिक्षण के क्षेत्र में उच्च अर्हताप्राप्त नायक तैयार करना;

(iv) क्रीड़ा के और विकास हेतु, उच्चतर क्षमता वाले मानव संसाधन का सृजन करने के लिए शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में कार्य करना;

(v) क्रीड़ा विज्ञान में अनुसंधान के लिए और इसके प्रायोगिक अनुप्रयोग में खिलाड़ियों के क्रीड़ा प्रदर्शन के उन्नयन के लिए प्रमुख और सर्वोत्तम क्रीड़ा केन्द्र के रूप में कार्य करना;

(vi) खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण का एक केन्द्र (उच्चतर प्रदर्शन शिक्षण केन्द्र) बनना;

(vii) एथलीटों के मूल्यांकन, निदान, बचाव और उपचार हेतु व्यापक क्रीड़ा चिकित्सा केन्द्र बनना;

(viii) अन्तरराष्ट्रीय मानकों की नवीनतम इनडोर और आउटडोर क्रीड़ा अवसंरचना उपलब्ध कराना; और

(ix) संकाय की अदला-बदली के लिए और देश तथा विदेश में विभिन्न विश्वविद्यालयों में अनुसंधान में सहयोग करने के लिए एक केन्द्र उपलब्ध कराना।

6. विश्वविद्यालय में प्रवेश.- (1) विश्वविद्यालय, इस अधिनियम, परिनियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा।

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय से-

(क) किसी भी पाठ्यक्रम में ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो विहित शैक्षणिक अर्हता या स्तर नहीं रखता है, प्रवेश दिया जाना; या

(ख) विश्वविद्यालय की नामावलियों पर ऐसे किसी छात्र को, जिसका शैक्षणिक अभिलेख कोई डिग्री, डिप्लोमा या अन्य विद्या संबंधी उपाधि प्रदान किये जाने के लिए न्यूनतम मानक स्तरमान से कम हो, बनाये रखना; या

(ग) ऐसे किसी व्यक्ति या किसी छात्र को, जिसका आचरण विश्वविद्यालय के हितों या अनुशासन के या अन्य छात्रों और कर्मचारियों के अधिकारों और विशेषधिकारों के प्रतिकूल हो, प्रवेश देना या बनाये रखना; या

(घ) किसी भी पाठ्यक्रम में, विहित से अधिक संख्या में छात्रों को प्रवेश दिया जाना,

अपेक्षित नहीं होगा।

(3) उप-धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों से संबंधित छात्रों और महिला छात्रों के लिए प्रवेश में स्थानों का आरक्षण तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुसार या राज्य सरकार की नीति के अनुसार किया जायेगा।

7. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.- विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:-

(क) विश्वविद्यालय का प्रशासन और प्रबंध करना और अनुसंधान**,** शिक्षा, शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए ऐसी संस्थाएं और केन्द्र स्थापित करना, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों;

(ख) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षा देने की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिए और ज्ञान के अभिवर्धन और प्रसार के लिए ऐसे उपबंध करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों;

(ग) पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन और पाठ्यक्रम विहित करना और शिक्षा पद्धतियों और प्रदान करने की कार्यपद्धतियों में लचीलेपन के लिए उपबंध करना;

(घ) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अनुसंधान और शिक्षा के लिए ऐसे केन्द्र, या अन्य इकाइयां स्थापित करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों;

(ङ) परिनियमों द्वारा विहित रीति से उपाधियां, डिप्लोमे और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां और पुरस्कार संस्थित और प्रदान करना;

(च) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पुरस्कार, पदक और अन्य पुरस्कार संस्थित और प्रदान करना;

(छ) समान या समरूप उद्देश्यों वाले अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और प्राधिकारियों के साथ सहयोग और सहयोजन करना, जैसाकि विश्वविद्यालय अवधारित करे;

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये पाठ्यक्रमों में, विहित रीति से छात्रों को प्रवेश देना;

(झ) ऐसी फीस और अन्य प्रभारों को नियत करना, उनकी मांग करना और प्राप्त करना या वसूल करना, जो विहित किये जायें;

(ञ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापन, अनुसंधान और अन्य पदों को संस्थित करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(ट) प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(ठ) सभी प्रवर्गों के कर्मचारियों की, उनकी आचार संहिता को सम्मिलित करते हुए, सेवा की शर्तें अधिकथित करना;

(ड) छात्रों और कर्मचारियों के सभी प्रवर्गों में अनुशासन विनियमित और प्रवर्तित करना और इस संबंध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जो विहित किये जायें या विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझे जायें;

(ढ) छात्रों के निवास के लिए हाल और छात्रावास और विश्वविद्यालय के संकायों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वास-सुविधा और अतिथि गृह स्थापित, संधारित करना और उनका प्रबंध करना;

(ण) छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण का प्रोन्नयन करने के लिए व्यवस्था करना;

(त) विश्वविद्यालय के व्यय का विनियमन करना और वित्त का प्रबंध करना और लेखे रखना;

(थ) विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए और उन उद्देश्यों से, जिनके लिए विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, संगत अनुदान, आर्थिक सहायता, अभिदान, संदान और दान प्राप्त करना और किन्हीं भी अनुदानों को प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकारियों और निकायों के साथ करार करना;

(द) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो विश्वविद्यालय ठीक और उचित समझे, ऐसी भूमि या भवन या संकर्म जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों, क्रय करना, अर्जित करना, उनका व्ययन करना और किन्हीं भी ऐसे भवनों या संकर्मों का सन्निर्माण, परिवर्तन और संधारण करना;

(ध) राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् विश्वविद्यालय की या विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए अर्जित की जाने वाली आस्तियों के संबंध में अन्तरण, बंधक, पट्टे, अनुज्ञप्तियां, करार और अन्य हस्तान्तरण-पत्र निष्पादित करना;

(न) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेना; और

(प) ऐसे समस्त अन्य कार्य और बातें करना जिन्हें विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के समस्त उद्देश्यों या

किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने या अग्रसर करने के लिए आवश्यक, सहायक या आनुषंगिक समझे।

8. कुलाधिपति.- (1) राजस्थान राज्य का/की राज्यपाल अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का/की कुलाधिपति होगा या होगी।

(2) कुलाधिपति विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और उपस्थित होने पर, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा और उपाधियां, डिप्लोमे या अन्य विद्या संबंधी उपाधियां उन्हें प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों को प्रदान करेगा।

(3) कुलाधिपति स्वप्रेरणा से या आवेदन पर, किसी भी कार्यवाही के संबंध में, ऐसी कार्यवाही की नियमितता या उसमें किये गये किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी वैधता या औचित्य के विषय में अपना समाधान करने के लिए विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी का अभिलेख मंगवा सकेगा/सकेगी और उसका परीक्षण कर सकेगा/सकेगी; और यदि किसी भी मामले में कुलाधिपति को यह प्रतीत होता है कि किसी ऐसे विनिश्चय या आदेश को उपांतरित, बातिल किया जाना, उलटा जाना, या पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश कर सकेगा/सकेगी:

परन्तु इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कुलाधिपति को प्रत्येक आवेदन उस तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर किया जायेगा जिसको वह कार्यवाही, विनिश्चय या आदेश जिससे कि आवेदन संबंधित है, आवेदक को संसूचित किया गया था:

परन्तु यह और कि किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर न दे दिया गया हो।

(4) कुलाधिपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा/करेगी जो इस अधिनियम के अधीन या द्वारा उसे प्रदत्त या समनुदेशित किये जायें।

9. निरीक्षण.- (1) कुलाधिपति को, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निदेश दे,-

(क) विश्वविद्यालय, इसके भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कार्यशालाओं और उपस्करों का; या

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी संस्थान, संस्था या छात्रावास का; या

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या किये गये अध्यापन और अन्य कार्य का; या

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के संचालन का, निरीक्षण करवाने का अधिकार होगा।

(2) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जैसा वह निदेश दे, जांच करवाने का भी अधिकार होगा।

(3) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, किये जाने वाले निरीक्षण या जांच करवाने के अपने आशय के बारे में विश्वविद्यालय को सूचना देगा/देगी और विश्वविद्यालय ऐसे निरीक्षण या जांच में प्रतिनिधित्व किये जाने का हकदार होगा।

(4) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय को ऐसी जांच या निरीक्षण के परिणाम के संबंध में अपने विचारों से संसूचित करेगा/करेगी और उन पर विश्वविद्यालय की राय अभिनिश्चित करने के पश्चात्, की जाने वाली कार्रवाई के बारे में विश्वविद्यालय को सलाह दे सकेगा/सकेगी और ऐसी कार्रवाई करने के लिए समय सीमा नियत कर सकेगा/सकेगी।

(5) विश्वविद्यालय, इस प्रकार नियत की गयी समय सीमा के भीतर-भीतर, कुलाधिपति द्वारा दी गयी सलाह पर की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में कुलाधिपति को रिपोर्ट देगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय, निर्धारित की गयी समय सीमा के भीतर-भीतर कार्रवाई नहीं करता है या यदि कुलाधिपति की राय में, विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्रवाई समाधानप्रद नहीं है तो कुलाधिपति विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण पर या किये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसा निदेश जारी कर सकेगा/ सकेगी जैसा वह उचित समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निदेश का पालन करेगा।

(7) यदि विश्वविद्यालय, उप-धारा (6) के अनुसार जारी किये गये निदेश का, ऐसी नियत समय सीमा के भीतर, जो इस निमित्त कुलाधिपति द्वारा नियत की जाये, पालन नहीं करता है तो कुलाधिपति को स्वविवेकानुसार ऐसे निदेश का क्रियान्वयन कराने के लिए किसी व्यक्ति या निकाय को नियुक्त करने की और ऐसा आदेश करने की शक्ति होगी जो उसके व्ययों के लिए आवश्यक हो।

10. विश्वविद्यालय के अधिकारी और प्राधिकारी.- विश्वविद्यालय के अधिकारी और प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:-

(क) विश्वविद्यालय के अधिकारी -

(i) कुलपति;
(ii) प्रति-कुलपति;
(iii) कुल-सचिव;
(iv) नियंत्रक;
(v) संपदा अधिकारी;
(vi) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष;
(vii) संकायों के संकायाध्यक्ष; और
(viii) विश्वविद्यालय की सेवा में के ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी होना घोषित किया जाये।

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी -

(i) सलाहकार परिषद्;
(ii) प्रबंध बोर्ड;
(iii) विद्या परिषद्;
(iv) संकाय;
(v) अध्ययन बोर्ड;
(vi) वित्त समिति; और
(vii) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होना घोषित किया जाये।

11. कुलपति.- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी

चयन समिति की सिफारिश पर, राज्य सरकार के परामर्श से, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा:-

(क) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय या उसके किसी महाविद्यालय से संबंधित न हो;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;

(ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित अन्तरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त एक खिलाड़ी; और

(घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति,

और कुलाधिपति इनमें से किसी एक व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

(2) कुलपति की पदावधि उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता/करती है, तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी:

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा/होगी ।

(3) कुलपति, ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा/करेगी जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें। इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा संधारित नि:शुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलब्धियों का/की हकदार होगा/होगी जो विहित की जायें।

(4) जब कुलपति के पद की कोई स्थायी रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के कारण हो जाये तो वह कुलाधिपति द्वारा, उप-धारा (1) के अनुसार भरी जायेगी और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके द्वारा उप-धारा (5) के अधीन और अनुसार कामचलाऊ व्यवस्था की जायेगी।

(5) जब कुलपति के पद की कोई अस्थायी रिक्ति उसकी छुट्टी, निलंबन के कारण या अन्यथा हो जाये, या जब उप-धारा (4) के अधीन कोई कामचलाऊ व्यवस्था आवश्यक हो तब कुल-सचिव मामले की रिपोर्ट तुरंत कुलाधिपति को करेगा जो, राज्य सरकार की सलाह से, कुलपति के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए व्यवस्था करेगा ।

(6) उप-धारा (1) से उप-धारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति राज्य सरकार की सलाह से, कुलाधिपति द्वारा, तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा जो राज्य सरकार अवधारित करे।

(7) कुलपति अपने पद का त्याग, किसी भी समय अपना त्यागपत्र ऐसी तारीख से, जिसको वह पदभार से मुक्त होने का/की इच्छुक हो, कम से कम साठ दिवस पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत करके, कर सकेगा/सकेगी।

(8) ऐसा त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाये और जिसकी सूचना कुलपति को दी जाये।

12. कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य.-(1) कुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोहों की अध्यक्षता करेगा।

(2) कुलपति बोर्ड और विद्या परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा।

(3) कुलपति, विश्वविद्यालय से संबंधित मामले बोर्ड को उसके विचार-विमर्श और विचार के लिए प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी। उसे बोर्ड और विद्या परिषद् और ऐसे अन्य प्राधिकारियों या निकायों, जैसेकि विहित किये जायें, की बैठकें बुलाने की शक्ति होगी।

(4) कुलपति का विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण नियंत्रण होगा और वह विश्वविद्यालय में सम्यक् अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) कुलपति इस अधिनियम और परिनियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों के उपबंधों का निष्ठापूर्वक पालन सुनिश्चित करेगा और उसे ऐसी समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी जो उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

(6) किसी आपात में, जिसमें कुलपति की राय में तुरंत कार्रवाई करना अपेक्षित हो, कुलपति ऐसी कार्रवाई करेगा/करेगी जो वह आवश्यक समझे और की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट, शीघ्रतम अवसर पर, ऐसे

अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को करेगा/करेगी जो उस मामले में सामान्य अनुक्रम में कार्रवाई करता।

(7) जहां कुलपति द्वारा उप-धारा (6) के अधीन की गयी किसी कार्रवाई से विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी भी व्यक्ति पर उसके लिए अलाभकारी प्रभाव पड़ता है, वहां ऐसा व्यक्ति, ऐसी तारीख से, जिसको उसे की गयी कार्रवाई से संसूचित किया जाये, तीस दिन के भीतर-भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा।

(8) पूर्वोक्त के अध्यधीन रहते हुए, कुलपति, विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन और पदच्युति संबंधी बोर्ड के आदेशों को कार्यान्वित करेगा ।

(9) कुलपति, अध्यापन, अनुसंधान और अन्य कार्य के निकट समन्वय और एकीकरण के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विहित की जायें।

13. प्रति-कुलपति.- विश्वविद्यालय का प्रति-कुलपति ऐसी रीति से, और ऐसी कालावधि के लिए, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जैसेकि परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

14. कुल-सचिव.- (1) कुल-सचिव विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा। वह सीधे ही कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कुल-सचिव राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा में के अधिकारियों (चयनित वेतनमान से अनिम्न) में से प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त किया जायेगा/जायेगी।

(3) कुल-सचिव बोर्ड, विद्या परिषद् और ऐसे किसी भी प्राधिकारी का पदेन सदस्य-सचिव होगा जिसे परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी होना घोषित किया जाये।

(4) कुल-सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह -

(क) विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्तियों का अभिरक्षक होगा/होगी जिन्हें बोर्ड उसके भारसाधन में सुपुर्द करे; और

(ख) बोर्ड, विद्या परिषद्, संकायों, अध्ययन बोर्डों और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किसी भी समिति की बैठकें बुलाने के लिए समस्त नोटिस जारी करेगा;

(5) (i) जहां बोर्ड की कोई कार्यवाही या संकल्प, या कुलपति का कोई आदेश इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये परिनियमों के उपबंधों से असंगत हो, वहां कुल-सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह सुसंगत उपबंधों का उल्लेख करते हुए बोर्ड या कुलपति को सलाह देगा/देगी और बोर्ड की बैठक की कार्यवाहियों में या कुलपति के आदेश पर इस तथ्य को अभिलिखित करेगा/करेगी कि उसने ऐसी सलाह दे दी थी और तदुपरांत ऐसी कार्यवाहियों, संकल्प या, यथास्थिति, आदेश पर विसम्मति का टिप्पण प्रस्तुत करेगा/करेगी और ऐसा संकल्प या आदेश पारित होने, या यथास्थिति, ऐसी कार्यवाहियां चलाने के सात दिवस के भीतर-भीतर कुलाधिपति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को मामले की संसूचना सुनिश्चित करेगा/करेगी।

(ii) उप-खण्ड (i) के अधीन रिपोर्ट किये गये विसम्मति के टिप्पण के परीक्षण के पश्चात्, कुलाधिपति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी ऐसा अंतरिम या स्थायी आदेश, जो वह ठीक समझे, दे सकेगा/सकेगी, जो विश्वविद्यालय के लिए आबद्धकर होगा:

परन्तु यदि विसम्मति के टिप्पण की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर ऐसा कोई अंतरिम या स्थायी आदेश जारी नहीं किया जाये तो बोर्ड या, यथास्थिति, कुलपति, कार्यवाहियों, या संकल्प या, यथास्थिति, आदेश पर ऐसे कार्यवाही कर सकेगा/सकेगी मानो कि विसम्मति का टिप्पण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(6) कुल-सचिव धारा 43 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) कुल-सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा/करेगी जो विहित किये जायें या जिनकी कुलपति या बोर्ड द्वारा उससे समय-समय पर अपेक्षा की जाये।

15. नियंत्रक.- (1) नियंत्रक, विश्वविद्यालय का मुख्य वित्त, लेखा और संपरीक्षा अधिकारी होगा/होगी। वह सीधे ही कुलपति के नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा/करेगी।

(2) इस अधिनियम या, तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी नियंत्रक, राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों (चयनित वेतनमान से अनिम्न) में से प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(3) नियंत्रक, वित्त समिति का पदेन सदस्य-सचिव होगा/होगी।

(4) नियंत्रक,-

(क) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा और विश्वविद्यालय को उसकी वित्तीय नीति के संबंध में सलाह देगा;

(ख) न्यास और विन्यास सम्पत्ति को सम्मिलित करते हुए, विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और विनिधानों का वित्त समिति और बोर्ड के विनिश्चयों के अनुसार प्रबंध करेगा/करेगी; और

(ग) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य वित्तीय कृत्यों का पालन करेगा/करेगी जो उसे बोर्ड द्वारा समनुदेशित किये जायें या जो विहित किये जायें:

परन्तु नियंत्रक, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, ऐसी रकम से अधिक, जो विहित की जाये, कोई व्यय उपगत या कोई भी विनिधान नहीं करेगा/करेगी।

(5) बोर्ड के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, नियंत्रक -

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि एक वर्ष के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय बोर्ड द्वारा नियत सीमाओं से अधिक न हों, और सभी धन उन प्रयोजनों के लिए व्यय किये जायें जिनके लिए वे मंजूर या आबंटित किये गये हैं;

(ख) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं, वित्तीय प्राक्कलनों और बजट को तैयार करने और उनको

वित्त समिति और बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ग) नकद और बैंक अतिशेषों और विनिधानों पर बराबर नजर रखेगा;

(घ) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नजर रखेगा और संग्रहण की लागू की गयी पद्धतियों पर सलाह देगा;

(ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि भवनों, भूमि, फर्नीचर और उपस्करों के रजिस्टर अद्यतन रखे जाते हैं, और विश्वविद्यालय द्वारा संधारित समस्त कार्यालयों, प्रयोगशालाओं, महाविद्यालयों और संस्थाओं में उपस्करों और अन्य खपने वाली सामग्री के सम्बन्ध में स्टाक की जांच की जाती है;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा विनिधान से अन्यथा ऐसा कोई भी व्यय उपगत नहीं किया जाये जो बजट में प्राधिकृत नहीं किया गया हो और किसी भी अनधिकृत व्यय या अन्य वित्तीय अनियमितता को कुलपति के ध्यान में लायेगा/लायेगी और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की जाने वाली समुचित कार्रवाई का सुझाव देगा/देगी;

(छ) ऐसे किसी भी व्यय को नामंजूर करेगा जो किसी भी परिनियम के निबन्धनों का उल्लंघन करता हो या जिसके लिए परिनियम द्वारा उपबंध किया जाना अपेक्षित है किन्तु नहीं किया गया है;

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी कार्यालय, प्रयोगशाला, महाविद्यालय या संस्था से ऐसी सूचना या विवरणियां प्राप्त करेगा/ करेगी जिन्हें वह अपनी शक्तियों के प्रयोग, कृत्यों के पालन या कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे; और

(झ) धारा 35, 36 और 37 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

16. सम्पदा अधिकारी और छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष.- (1) बोर्ड निम्नलिखित किसी भी एक या अधिक अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगा, अर्थात्:-

(क) सम्पदा अधिकारी; और

(ख) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष ।

(2) सम्पदा अधिकारी विश्वविद्यालय के समस्त भवनों, लानों, उद्यानों और अन्य स्थावर सम्पत्ति का भारसाधक होगा ।

(3) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के कर्तव्य निम्नलिखित होंगे:-

(क) छात्रों के आवासन का प्रबंध करना;

(ख) छात्रों को परामर्श देने के लिए कार्यक्रम निदिष्ट करना;

(ग) कुलपति द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अनुसार छात्रों के नियोजन के लिए व्यवस्था करना;

(घ) छात्रों के पाठ्येतर क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करना;

(ङ) विश्वविद्यालय के स्नातकों को नौकरी दिलाने में सहायता करना; और

(च) विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों को संगठित करना और उनसे सम्पर्क बनाये रखना ।

17. संकायों के संकायाध्यक्ष और उनके कृत्य.- (1) प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा।

(2) संकायों के संकायाध्यक्ष कुलपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किये जायेंगे जो विहित की जाये।

(3) संकायाध्यक्ष ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

18. अन्य अधिकारी और कर्मचारी.- धारा 10 के खण्ड (क) में वर्णित अन्य अधिकारियों की और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और उनके कृत्य ऐसे होंगे जो इस अधिनियम में उपबंधित किये जायें या परिनियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों द्वारा विहित किये जायें।

19. अधिकारियों और कर्मचारियों का पारिश्रमिक.- विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को विश्वविद्यालय

में किसी भी कार्य के लिए, परिनियमों में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई भी पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह उसे स्वीकार करेगा ।

20. सलाहकार परिषद् का गठन और संरचना.- (1) विश्वविद्यालय की एक सलाहकार परिषद् होगी जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(i) कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाने वाला, शारीरिक शिक्षा और खेलों में राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त एक व्यक्ति, जो सलाहकार समिति का अध्यक्ष होगा;

(ii) कुलपति;

(iii) प्रमुख शासन सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान;

(iv) अध्यक्ष, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् या उसका नामनिर्देशिती;

(v) कार्यकारी निदेशक, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, पटियाला;

(vi) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले ऐसे दो प्रमुख खिलाड़ी, जो कि अन्तरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में रैफरी या अम्पायर के कार्य के लिए मान्यताप्राप्त हों;

(vii) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले, पांच खिलाड़ी, जिन्होंने ओलम्पिक या विश्व चैम्पियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व किया हो;

(viii) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले, राज्य से संबंध रखने वाले दो खिलाड़ी, जिन्होंने देश या राज्य का अन्तरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया हो;

(ix) संकायाध्यक्ष (भौतिक-चिकित्साविद्), राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर;

(x) विश्वविद्यालय का कुल-सचिव, सदस्य-सचिव।

(2) सलाहकार परिषद् की बैठक में, एक तिहाई उपस्थित सदस्यों से बैठक की गणपूर्ति होगी।

(3) सलाहकार परिषद् का अध्यक्ष ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम में उपबंधित हैं या जो विहित की जायें।

(4) सदस्य किसी भी अतिरिक्त वेतन के बिना सेवा करेंगे किन्तु ऐसे दैनिक भत्ते और यात्रा व्ययों के हकदार होंगे जो विहित किये जायें।

(5) सलाहकार परिषद् की बैठकों का कार्यवृत्त सलाहकार परिषद् के सदस्य-सचिव द्वारा अभिलिखित और संधारित किया जायेगा।

21. सलाहकार परिषद् के कर्तव्य और कृत्य.- सलाहकार परिषद् के कर्तव्य और कृत्य निम्नलिखित होंगे:-

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उद्देश्यों को प्राप्त करने के संबंध में, विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए, उपायों का सुझाव देना;

(ख) ऐसे किसी मामले के संबंध में जिससे विश्वविद्यालय का मार्गदर्शन हो सके, कुलपति को सलाह देना; और

(ग) ऐसे अन्य कर्तव्य और कृत्य जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

22. प्रबंध बोर्ड का गठन और संरचना.- (1) प्रबंध बोर्ड विश्वविद्यालय का उच्चतम कार्यपालक निकाय होगा और निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

(I) विश्वविद्यालय का **कुलपति -** अध्यक्ष;

(II) **पदेन सदस्य -**

(i) प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान;

(ii) प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान;

(iii) प्रमुख शासन सचिव, विद्यालय शिक्षा विभाग, राजस्थान;

(iv) प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान;

(v) प्रमुख शासन सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान;

(vi) अध्यक्ष, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्;

(vii) निदेशक, शारीरिक शिक्षा, राजस्थान विश्वविद्यालय , जयपुर;

(viii) प्रति-कुलपति; और

(ix) विश्वविद्यालय का कुल-सचिव, सदस्य-सचिव ।

स्पष्टीकरण.- (i) से (v) में उल्लिखित पदेन सदस्यों में उनके संबंधित नामनिर्देशिती भी सम्मिलित होंगे जो शासन उप सचिव, राजस्थान की रैंक से नीचे के नहीं होंगे।

(III) **नामनिर्देशित सदस्य -**

(i) कुलपति द्वारा, संकायाध्यक्षों में से एक वर्ष के लिए नामनिर्देशित दो व्यक्ति;

(ii) कुलाधिपति द्वारा, एक वर्ष के लिए नामनिर्देशित दो विश्वविद्यालय आचार्य;

(iii) कुलाधिपति द्वारा, तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले दो विख्यात शिक्षाविद्;

(iv) राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले, राज्य विधान-मण्डल के दो सदस्य; और

(v) राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले, राष्ट्रीय या अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिप्राप्त दो खिलाड़ी।

(2) बोर्ड की बैठक में, एक तिहाई उपस्थित सदस्यों से बैठक की गणपूर्ति होगी।

(3) बोर्ड का अध्यक्ष ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम में उपबंधित हैं या जो विहित की जायें।

(4) सदस्य किसी भी अतिरिक्त वेतन के बिना सेवा करेंगे किन्तु ऐसे दैनिक भत्ते और यात्रा व्ययों के हकदार होंगे जो विहित किये जायें ।

(5) बोर्ड की बैठकों का कार्यवृत्त बोर्ड के सदस्य-सचिव द्वारा अभिलिखित और संधारित किया जायेगा ।

23. बोर्ड के कर्तव्य और कृत्य.- बोर्ड के कर्तव्य और कृत्य निम्नलिखित होंगे:-

(क) विश्वविद्यालय के बजट को अनुमोदित और मंजूर करना;

(ख) विश्वविद्यालय की संपत्ति और निधियों को अर्जित करना, व्ययनित करना, धारित करना और नियंत्रित करना और विश्वविद्यालय की ओर से कोई भी साधारण या विशेष निदेश जारी करना;

(ग) किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति के अन्तरण को विश्वविद्यालय की ओर से स्वीकार करना;

(घ) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के व्ययनाधीन रखी गयी किन्हीं भी निधियों का प्रबंध करना;

(ङ) विश्वविद्यालय के धन का विनिधान करना;

(च) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, प्रशासनिक और अन्य स्टाफ के सदस्यों को ऐसी रीति से नियुक्त करना, जो विहित की जाये;

(छ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के प्ररूप और उपयोग का निदेश देना;

(ज) स्थायी या अस्थायी ऐसी समितियों की नियुक्ति करना जिन्हें वह अपने उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे;

(झ) पूंजीगत सुधारों के लिए धन उधार लेना और उसके प्रतिसंदाय के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना;

(ञ) ऐसे समय पर और इतनी बार बैठकें करना जितनी वह आवश्यक समझे, परन्तु बोर्ड की नियमित बैठक प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी;

(ट) विश्वविद्यालय के सुचारु कार्यकरण के लिए इस अधिनियम में विहित रीति से परिनियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों को बनाना; और

(ठ) विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त मामलों को इस अधिनियम और परिनियमों के अनुसार विनियमित और अवधारित करना और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करना जो इस अधिनियम और परिनियमों द्वारा बोर्ड को प्रदत्त की जायें या उस पर अधिरोपित किये जायें ।

24. विद्या परिषद्.- (1) विश्वविद्यालय की एक विद्या परिषद् होगी जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(क) कुलपति - पदेन अध्यक्ष;

(ख) प्रति-कुलपति;

(ग) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(घ) प्रत्येक संकाय से, कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाला एक आचार्य;

(ङ) प्रमुख शासन सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव, राजस्थान की रैंक से नीचे का न हो;

(च) अध्ययन बोर्डों के अध्यक्ष;

(छ) क्रीड़ा अध्ययन के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले दो व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं हों, जिनमें से एक कुलाधिपति द्वारा और दूसरा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा; और

(ज) विश्वविद्यालय का कुल-सचिव, सदस्य-सचिव।

(2) नामनिर्देशित सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

25. विद्या परिषद् के कृत्य.- (1) इस अधिनियम, परिनियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विद्या परिषद् का शैक्षणिक कार्यकलापों पर नियंत्रण होगा और वह उनका साधारण विनियमन करेगी और विश्वविद्यालय में शिक्षण और परीक्षाओं के स्तर को बनाये रखने के लिए और उपाधियां और डिप्लोमे प्रदान करने के लिए अपेक्षाओं के लिए उत्तरदायी होगी। विद्या परिषद् -

(i) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों पर नियंत्रण रखेगी और विश्वविद्यालय में शिक्षण, शिक्षा और

मूल्यांकन के स्तरों को बनाये रखने और उनमें सुधार करने के लिए उत्तरदायी होगी;

(ii) या तो अपनी स्वयं की पहल पर या विश्वविद्यालय के संकाय या बोर्ड से निर्देश पर सामान्य शैक्षणिक हित के मामलों पर विचार करेगी और उन पर समुचित कार्रवाई करेगी; और

(iii) छात्रों के अनुशासन को सम्मिलित करते हुए, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यकरण के बारे में ऐसे विनियमों की, जो इस अधिनियम से संगत हों, बोर्ड को सिफारिश करेगी ।

(2) विद्या परिषद् ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी जो परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त की जायें या उस पर अधिरोपित किये जायें और समस्त शैक्षणिक मामलों में कुलपति को सलाह देगी ।

26. संकायों की संरचना और कृत्य.- (1) विश्वविद्यालय में इतने संकाय होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(2) प्रत्येक संकाय निम्नलिखित से मिलकर बनेगा:-

(क) संकाय का संकायाध्यक्ष - अध्यक्ष;

(ख) संकाय को समनुदेशित विषयों के विश्वविद्यालय आचार्य;

(ग) संकाय में अध्ययन बोर्डों के अध्यक्ष; और

(घ) विद्या परिषद् द्वारा नामनिर्देशित दो बाह्य विशेषज्ञ।

(3) संकाय ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

27. अध्ययन बोर्ड.- (1) अध्ययन बोर्ड इतने होंगे जितने परिनियमों द्वारा अवधारित किये जायें।

(2) अध्ययन बोर्ड ऐसी रीति से गठित किया जायेगा, ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगा, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो विहित किये जायें।

28. वित्त समिति.- (1) वित्त समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(क) कुलपति, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(ख) प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव, राजस्थान की रैंक से नीचे का न हो;

(ग) प्रमुख शासन सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव, राजस्थान की रैंक से नीचे का न हो;

(घ) प्रति-कुलपति;

(ङ) बोर्ड द्वारा इसके अशासकीय सदस्यों में से नामनिर्देशित किया जाने वाला, बोर्ड का एक सदस्य;

(च) बोर्ड द्वारा, चक्रानुक्रम में, नामनिर्देशित किये गये दो आचार्य; और

(छ) नियंत्रक, जो समिति का सदस्य-सचिव होगा।

(2) खण्ड (ङ) और (च) के अधीन नामनिर्देशित सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

29. वित्त समिति के कृत्य.- इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, रहते हुए, वित्त समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात्:-

(i) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और वार्षिक बजट प्राक्कलनों का परीक्षण करना और उन पर बोर्ड को सलाह देना;

(ii) विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना;

(iii) विश्वविद्यालय के समस्त वित्तीय नीतिगत विषयों पर बोर्ड को सिफारिश करना;

(iv) निधियां जुटाने, प्राप्तियों और व्यय को अन्तर्वलित करने वाले समस्त प्रस्तावों पर बोर्ड को सिफारिशें करना;

(v) अधिशेष निधियों के विनिधान के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराना;

(vi) ऐसे समस्त प्रस्तावों पर, जिनमें ऐसा व्यय अंतर्वलित हो, जिसके लिए बजट में कोई उपबंध नहीं किया गया हो या

जिनके लिए बजट में उपबंधित रकम से अधिक व्यय उपगत किये जाने की आवश्यकता हो, बोर्ड को सिफारिश करना;

(vii) वेतनमानों के पुनरीक्षण, वेतनमानों के उन्नयन और उन मदों, जो बोर्ड के समक्ष रखे जाने के पूर्व बजट में सम्मिलित न की गयी हों, से संबंधित समस्त प्रस्तावों का परीक्षण करना; और

(viii) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो उसे विनियमों द्वारा प्रदत्त की जायें या उस पर अधिरोपित किये जायें।

30. विश्वविद्यालय का अध्यापन.- (1) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त अध्यापन विश्वविद्यालय विभागों में या इसके संस्थानों और संस्थाओं में संचालित किया जायेगा।

(2) ऐसे अध्यापन का संचालन करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी ऐसे होंगे जो विहित किये जायें।

(3) पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन और पाठ्यक्रम ऐसे होंगे जो आर्डिनेन्सों द्वारा, और उनके अध्यधीन रहते हुए, विनियमों द्वारा विहित किये जायें।

31. विश्वविद्यालय के अध्यापक और अधिकारी.-(1) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अधिकारियों की नियुक्ति राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम सं.18) के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

(2) परिनियमों द्वारा उपबंधित मामलों के सिवाय, विश्वविद्यालय के अध्यापक और अधिकारी लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किये जायेंगे। संविदा कुलपति के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति सबंधित अध्यापक या अधिकारी को दी जायेगी। यह संविदा, सेवा की शर्तों के संबंध में इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त परिनियमों के उपबंधों से असंगत नहीं होगी।

32. सेवानिवृत्ति की आयु.- परिनियमों में किसी भी प्रतिकूल उपबंध के या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के किन्हीं भी निदेशों या नीति के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारी सामान्यत: साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होंगे।

33. पेंशन या भविष्य निधि.- (1) विश्वविद्यालय, अपने अधिकारियों, अध्यापकों, लिपिकवर्गीय स्टाफ और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, ऐसी पेन्शन, उपदान, बीमा और भविष्य निधि का गठन करेगा, जो वह उचित समझे।

(2) भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का केन्द्रीय अधिनियम सं.19) के उपबंध किसी निधि या बीमा स्कीम पर इस प्रकार लागू होंगे मानों कि वह राज्य सरकार की निधि या स्कीम हो और विश्वविद्यालय ऐसी निधि या स्कीम में अंशदान या विनिधान करेगा।

(3) परिनियमों में यह सुनिश्चित करने के लिए उपबंध किया जायेगा कि राज्य की सेवाओं में के नियोजन से स्थानान्तरित स्टाफ-सदस्यों को ऐसे स्थानान्तरण पर संरक्षित उनके प्रोद्भूत सेवा फायदे मिलें।

34. छात्रों का निवास.- छात्र**,** विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये या विहित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, कुलपति द्वारा अनुमोदित आवास में निवास करेंगे।

35. विश्वविद्यालय निधि.- (1) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय निधि के नाम से एक निधि स्थापित, संधारित करेगा और उसका प्रशासन करेगा ।

(2) निम्नलिखित धनराशियां विश्वविद्यालय निधि का भाग होंगी और उसमें संदत्त की जायेंगी, अर्थात्:-

(क) राज्य सरकार द्वारा कोई भी अंशदान या अनुदान;

(ख) विश्वविद्यालय को समस्त स्रोतों से उद्भूत होने वाली आय जिसमें फीस और प्रभारों से आय सम्मिलित है;

(ग) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास और अन्य अनुदान, यदि कोई हों;

(घ) ऐसी अन्य धनराशियां जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें।

(3) ऐसे मामले, जिनमें निधि उपयोजित और विनियोजित की जायेगी, ऐसे होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा विहित किये जायें ।

(4) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी भी उपबंध के अधीन और उसके अनुसरण में उपगत होने वाले समस्त व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय निधि से की जायेगी।

(5) विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय संपत्तियों की प्रतिभूति पर और राज्य सरकार की सहमति से, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेने की शक्ति होगी।

36. लेखे और संपरीक्षा.- (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र, कुलपति के निदेश के अधीन, नियंत्रक द्वारा तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत होने वाली या उसके द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियां और संवितरित या संदत्त समस्त रकमों की प्रविष्टि लेखाओं में की जायेगी।

(2) नियंत्रक, ऐसी तारीख से पूर्व जो परिनियमों में विहित की जाये, आगामी वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन तैयार करेगा।

(3) नियंत्रक द्वारा तैयार किये गये वार्षिक लेखे और वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन वित्त समिति की टिप्पणियों के साथ बोर्ड की वार्षिक बैठक में अनुमोदन के लिए रखे जायेंगे और बोर्ड इसके संदर्भ में संकल्प पारित कर सकेगा और इसे नियंत्रक को संसूचित कर सकेगा जो तदनुसार कार्रवाई करेगा।

(4) लेखाओं की संपरीक्षा विहित रीति से ऐसे संपरीक्षकों द्वारा की जायेगी जिनका राज्य सरकार निदेश दे और ऐसी संपरीक्षा का व्यय विश्वविद्यालय निधि पर प्रभार होगा।

(5) संपरीक्षित होने पर लेखे मुद्रित किये जायेंगे और उनकी प्रतियां, संपरीक्षा रिपार्ट सहित, कुलपति द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत की जायेंगी जो उन्हें ऐसी टिप्पणियों सहित, जो आवश्यक समझी जायें, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(6) विश्वविद्यालय संपरीक्षा में किये गये आक्षेपों का समाधान करेगा और ऐसे अनुदेशों को कार्यान्वित करेगा जो संपरीक्षा रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये जायें।

37. राज्य सरकार का नियंत्रण.- जहां राज्य सरकार की निधियां अन्तर्वलित हैं, वहां विश्वविद्यालय ऐसी निधियों की मंजूरी से संबद्ध निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के संबंध में राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा भी सम्मिलित है, अर्थात्:-

(क) अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के नये पदों का सृजन;

(ख) अपने अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन, भत्तों, सेवानिवृत्ति-पश्चात् के फायदों और अन्य फायदों का पुनरीक्षण;

(ग) अपने अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों में से किसी को किसी अतिरिक्त/विशेष वेतन, भत्ते या किसी भी प्रकार का अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक, जिसमें वित्तीय विवक्षा रखने वाला अनुग्रहपूर्वक संदाय या अन्य फायदे सम्मिलित हैं, की मंजूरी;

(घ) किसी भी निश्चित निधि का ऐसे प्रयोजन, जिसके लिए वह प्राप्त की गयी थी, से भिन्न प्रयोजन के लिए अपयोजन;

(ङ) स्थावर सम्पत्ति का विक्रय, पट्टे, बंधक द्वारा या अन्यथा अन्तरण;

(च) राज्य सरकार से प्राप्त निधियों से, ऐसे प्रयोजनों, जिनके लिए निधियां प्राप्त की गयी हैं, से भिन्न प्रयोजनों के लिए किसी भी विकास कार्य पर व्यय उपगत करना; और

(छ) ऐसा कोई भी विनिश्चय करना जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय दायित्व बढ़ जाये ।

स्पष्टीकरण.- पूर्वोक्त शर्तें किसी भी अन्य निधि से सृजित पदों के संबंध में भी लागू होंगी जिनसे राज्य सरकार पर दीर्घकाल में वित्तीय विवक्षाएं होने की संभावना है।

38. आपात उपाय के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय नियंत्रण की धारणा.- (1) राज्य सरकार को, विश्वविद्यालय के वित्त से संबंधित किसी भी मामले में जहां राज्य सरकार की निधियों का संबंध हो, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसाकि वह निदेश दे, जांच करवाने और विश्वविद्यालय को निदेश जारी करने का अधिकार होगा।

(2) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय में कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबंध के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता असुरक्षित हो गयी है तो वह, अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकेगी कि विश्वविद्यालय का वित्त राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगा और ऐसे अन्य निदेश जारी करेगी जो वह उक्त प्रयोजन के लिए ठीक समझे और वे विश्वविद्यालय पर आबद्धकर होंगे।

39. सदस्यता संबंधी अनुपूरक उपबंध.- (1) विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों में हुई समस्त आकस्मिक रिक्तियां यथासंभव शीघ्र, नियुक्ति या नामनिर्देशन द्वारा उसी प्रकार भरी जायेंगी जिस प्रकार उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त या नामनिर्देशित किया गया था और किसी आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त या नामनिर्देशित व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का ऐसी अवशिष्ट कालावधि के लिए सदस्य रहेगा जितनी अवधि के लिए वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, यदि स्थान रिक्ति नहीं हुई होती तो बना रहता।

(2) कोई व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय में कोई भी पद, विश्वविद्यालय का कोई भी अन्य पद धारण करने के आधार पर या अन्यथा धारण करता है, ऐसा पद तब तक, जब तक कि वह अन्य पद धारण करता है, धारण करेगा और तत्पश्चात् तब तक धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी सम्यक् रूप से नामनिर्देशित या, यथास्थिति, नियुक्त नहीं कर दिया जाता है।

(3) बोर्ड ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी नहीं हो, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता से या किसी भी कर्मचारी को इस आधार पर हटा सकेगा कि ऐसा व्यक्ति या कर्मचारी नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी

अपराध के लिए या ध्वंसक गतिविधियों में भाग लेने के लिए या विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा के लिए अशोभनीय किसी कार्य या कार्यों में भाग लेने के आधार पर सिद्धदोष ठहराया गया है:

परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति या कर्मचारी को इस उप-धारा के अधीन तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसे बोर्ड द्वारा यह हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो कि उसे इस प्रकार क्यों नहीं हटा दिया जाना चाहिए और ऐसे हेतुक पर विचार नहीं कर लिया गया हो:

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय के राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किसी सदस्य के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

(4) यदि ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में, जो बोर्ड के अधीनस्थ, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी के सदस्य के रूप में नियुक्त या नामनिर्देशित किया गया हो या उसका सदस्य होने का हकदार हो, या इस अधिनियम और परिनियमों के अधीन बोर्ड के किसी भी विनिश्चय के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो मामला कुलाधिपति को, उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जायेगा और कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा।

40. विश्वविद्यालय प्राधिकारियों और निकायों की कार्यवाहियों का किसी रिक्ति के कारण अविधिमान्य नहीं होना.- विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय का कोई कार्य, या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति की विद्यमानता के कारण या ऐसे किसी व्यक्ति के कार्यवाहियों में भाग लेने के कारण, जो तत्पश्चात् ऐसा करने का हकदार नहीं पाया जाता है, अविधिमान्य नहीं होगी ।

41. पदनाम में परिवर्तन की दशा में सरकारी अधिकारियों के प्रति निर्देश का अर्थ तत्समान पदों के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाना.- जहां इस अधिनियम के या परिनियमों, आर्डिनेन्सों या विनियमों के किसी भी उपबंध में राज्य सरकार के किसी अधिकारी का निर्देश पदनाम से हो वहां, यदि वह पदनाम परिवर्तित कर दिया जाता है या वह पद अस्तित्वहीन हो जाता है तो, उक्त निर्देश का अर्थ परिवर्तित पदनाम

या, यथास्थिति, ऐसे तत्समान अधिकारी, जैसाकि राज्य सरकार निदिष्ट करे, के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायेगा ।

42. सूचना अभिप्राप्त करने की शक्ति.- इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित किसी भी विषय पर विश्वविद्यालय से कोई भी सूचना मंगा सकेगी और विश्वविद्यालय , यदि ऐसी सूचना उसके पास उपलब्ध है तो ऐसी सूचना राज्य सरकार को युक्तियुक्त कालावधि के भीतर-भीतर देगा।

43. वार्षिक रिपोर्ट.- विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कुलपति के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी और बोर्ड के सदस्यों में, बोर्ड की वार्षिक बैठक जिसमें उस पर विचार किया जाना है, के एक मास पूर्व प्रचालित की जायेगी। बोर्ड द्वारा यथा-अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट राज्य विधान-मण्डल के सदन के पटल पर रखे जाने के लिए राज्य सरकार को भेजी जायेगी।

44. परिनियम.- इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, परिनियमों में किसी भी मामले के लिए उपबंध किया जा सकेगा, और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा:-

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियां और उनके कर्तव्य;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों की नियुक्ति या नामनिर्देशन और उनके पद पर बने रहने और इन प्राधिकारियों से संबंधित ऐसे समस्त अन्य मामले, जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पदनाम, नियुक्ति की रीति, शक्तियां, कर्तव्य और सेवा-शर्तें;

(घ) अध्यापकों का वर्गीकरण और उनकी नियुक्ति की रीति और उनकी सेवा-शर्तें और अर्हताएं;

(ङ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए पेंशन, उपदान, बीमा और भविष्य निधियों का गठन;

(च) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(छ) विभागों की स्थापना, समामेलन, उप-विभाजन और समाप्ति;

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित छात्रावासों की स्थापना और उनकी समाप्ति;

(झ) ऐसी धनराशियां जो विश्वविद्यालय निधि का भाग होंगी और उसमें संदत्त की जायेंगी और ऐसे मामले जिनमें निधि उपयोजित और विनियोजित की जा सकेगी;

(ञ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या और उनकी उपलब्धियां, और उनकी सेवाओं और क्रियाकलापों का अभिलेख तैयार करना और रखना;

(ट) विश्वविद्यालय के कार्य में नियोजित व्यक्तियों को संदत्त किये जाने वाले पारिश्रमिक और भत्ते, जिनमें यात्रा और दैनिक भत्ते सम्मिलित हैं; और

(ठ) ऐसे अन्य समस्त मामले जिनके लिए इस अधिनियम द्वारा उपबंध किये जाने की अपेक्षा की गयी है या उपबंध किया जा सकेगा, या जो आर्डिनेन्सों और विनियमों से अन्यथा विहित किये जा सकेंगे।

45. परिनियम कैसे बनाये जायेंगे.- (1) बोर्ड द्वारा, इसमें आगे उपबंधित रीति से परिनियम बनाये, संशोधित और निरसित किये जा सकेंगे।

(2) बोर्ड, किसी परिनियम के प्रारूप पर या तो स्वप्रेरणा से या विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव किये जाने पर, विचार कर सकेगा।

(3) बोर्ड, यदि वह आवश्यक समझे तो, किसी प्रारूप-परिनियम के बारे में, जो उसके समक्ष विचार के लिए है, विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय की राय भी अभिप्राप्त कर सकेगा।

(4) बोर्ड द्वारा पारित किया गया प्रत्येक परिनियम कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा या उसे रोक सकेगा या उसे बोर्ड के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकेगा।

(5) बोर्ड द्वारा पारित किया गया कोई भी परिनियम तब तक विधिमान्य या प्रवृत्त नहीं होगा जब तक कि कुलाधिपति द्वारा उस पर अनुमति न दे दी जाये।

(6) पूर्वगामी उप-धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कुलाधिपति, या तो स्वप्रेरणा से या राज्य सरकार की सलाह पर, उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी मामले के संबंध में परिनियमों में उपबंध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकेगा/सकेगी और यदि बोर्ड ऐसे किसी निदेश को उसकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर-भीतर क्रियान्वित करने में असफल रहता है तो कुलाधिपति, बोर्ड द्वारा ऐसे निदेश का पालन करने में उसकी असमर्थता के लिए संसूचित कारणों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात्, परिनियम बना सकेगा/सकेगी या उन्हें यथोचित रूप से संशोधित कर सकेगा/सकेगी।

46. आर्डिनेन्स.- इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, आर्डिनेन्सों में निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी भी मामले के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:-

(क) पाठ्यक्रम, छात्रों का प्रवेश या नामांकन, किसी भी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या अध्येतावृत्ति के लिए अपेक्षित फीस, अर्हताएं या शर्तें;

(ख) परीक्षकों की नियुक्ति और उनके निबंधनों और शर्तों को सम्मिलित करते हुए, परीक्षाओं का संचालन;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले या संधारित किसी छात्रावास या अन्य निवास-स्थान में निवास करने के लिए शर्तें, उनके लिए प्रभारों का उद्ग्रहण और अन्य संबंधित मामले;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा चलाये या संधारित न किये जाने वाले छात्रावासों को मान्यता और उनका पर्यवेक्षण; और

(ङ) ऐसा कोई भी अन्य मामला जिस पर इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के आर्डिनेन्सों के द्वारा या अधीन विचार किया जाना अपेक्षित हो।

47. आर्डिनेन्स कैसे बनाये जायेंगे.- (1) बोर्ड इसमें इसके आगे उपबंधित रीति से आर्डिनेन्स बना सकेगा, संशोधित या निरसित कर सकेगा।

(2) बोर्ड द्वारा, शैक्षणिक मामलों से संबंधित कोई भी आर्डिनेन्स तब तक नहीं बनाये जायेंगे जब तक कि उनका प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया हो।

(3) बोर्ड को उप-धारा (2) के अधीन विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी भी प्रारूप का संशोधन करने की शक्ति नहीं होगी किन्तु वह उसे, भागत: या पूर्णत:, नामंजूर कर सकेगा या ऐसे किन्हीं भी संशोधनों के साथ, जिनका बोर्ड सुझाव दे, पुनर्विचार के लिए विद्या परिषद् को लौटा सकेगा ।

(4) बोर्ड द्वारा बनाये गये समस्त आर्डिनेन्स ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे जो वह निदिष्ट करे, किन्तु इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक आर्डिनेन्स दो सप्ताह के भीतर-भीतर, कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा। कुलाधिपति को आर्डिनेन्स की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर-भीतर, उसके प्रवर्तन को निलंबित करने का बोर्ड को निदेश देने की शक्ति होगी और वह यथासंभव शीघ्र, उस पर अपने आक्षेप के बारे में बोर्ड को सूचित करेगा/करेगी। वह, बोर्ड की टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात्, या तो आर्डिनेन्स को निलंबित करने वाला आदेश वापस ले सकेगा/सकेगी या आर्डिनेन्स को अननुज्ञात कर सकेगा/सकेगी और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

48. विनियम.- (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी इस अधिनियम और परिनियमों और आर्डिनेन्सों से संगत विनियम निम्नलिखित के लिए बना सकेगा:-

(क) अपनी बैठकों में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करना;

(ख) ऐसे समस्त मामलों के लिए उपबंध करना जिनके लिए इस अधिनियम और परिनियमों या आर्डिनेन्सों के द्वारा, उस प्राधिकारी द्वारा विनियमों द्वारा उपबंध किये जाने हैं; और

(ग) ऐसे किसी भी अन्य मामले के लिए उपबंध करना जो केवल ऐसे प्राधिकारी से संबंधित हो और जिसके लिए इस अधिनियम और परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा उपबंध नहीं किया गया हो।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी, ऐसे प्राधिकारी के सदस्यों को, बैठकों की तारीखों का और उन बैठकों में किये जाने वाले कार्यों का नोटिस देने के लिए और बैठकों की कार्यवाही का अभिलेख रखने के लिए उपबंध करते हुए विनियम बनायेगा।

(3) बोर्ड, इस धारा के अधीन विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा बनाये गये किन्हीं भी विनियमों में, ऐसी रीति से, जो वह विनिर्दिष्ट करे, संशोधन करने के लिए या उनके बातिलकरण के लिए निदेश दे सकेगा।

49. शक्तियों का प्रत्यायोजन.- बोर्ड, इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों में से कोई भी शक्ति किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, प्रयोग की जाने के लिए परिनियमों द्वारा, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

50. अस्थायी व्यवस्थाएं.- (1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् किसी भी समय और ऐसे समय तक, जब तक विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का सम्यक् रूप से गठन नहीं हो जाता, विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी को ऐसे किसी भी प्राधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए, कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से, कुलपति द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा ।

(2) कुलपति अस्थायी नियुक्तियां, ऐसी नियुक्तियां करने के पश्चात् होने वाली बोर्ड की आगामी बैठक में बोर्ड के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, कर सकेगा ।

51. अवशिष्ट उपबंध.- बोर्ड को ऐसे किसी भी मामले पर कार्यवाही करने का प्राधिकार होगा जो विश्वविद्यालय से संबंधित हो

और जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से विचार नहीं किया गया है । ऐसे समस्त मामलों पर बोर्ड का विनिश्चय, कुलाधिपति द्वारा पुनरीक्षण के अध्यधीन रहते हुए, अंतिम होगा और वह किसी भी न्यायालय या अधिकरण में आक्षेपणीय नहीं होगा ।

52. कठिनाइयों का निराकरण.- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र और मामलों में किन्हीं भी कठिनाइयों के निराकरण के प्रयोजन के लिए राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा -

(क) निदेश दे सकेगी कि यह अधिनियम ऐसी कालावधि के दौरान, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के, जो चाहे उपांतरण, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, और जो इस अधिनियम से संगत हों, अध्यधीन रहते हुए, जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक या समीचीन होना ठीक समझे, प्रभावी होगा,या

(ख) ऐसे निदेश दे सकेगी, जो उसे ऐसी कठिनाइयों, जो इस अधिनियम के उपबधों को प्रभावी करने में उद्भूत हों, के निराकरण के लिए आवश्यक प्रतीत हों, या

(ग) ऐसी किन्हीं भी कठिनाइयों का निराकरण करने के प्रयोजन के लिए ऐसे अन्य अस्थायी उपबंध कर सकेगी जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन होना ठीक समझे:

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से बारह मास के पश्चात् नहीं किया जायेगा ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किये गये समस्त आदेश राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष चौदह दिन की ऐसी कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं, या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे आदेशों में से किसी भी आदेश में कोई उपांतरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा आदेश केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या

बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी भी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

(3) यदि इस अधिनियम के या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं भी परिनियमों या आर्डिनेन्सों या विनियमों के किन्हीं भी उपबंधों के निर्वचन के संबंध में या इस विषय में कि आया कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अन्य निकाय का सम्यक् रूप से सदस्य नियुक्त किया गया है या सदस्य होने का हकदार है, कोई भी प्रश्न उद्भूत होता है तो मामला कुलाधिपति को निर्देशित किया जा सकेगा और यदि कुलपति और बोर्ड के कोई भी दस सदस्य ऐसी अपेक्षा करें तो, इस प्रकार निर्देशित किया जायेगा। कुलाधिपति, राज्य सरकार से ऐसी सलाह लेने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, प्रश्न का विनिश्चय करेगा/करेगी और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

53. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुन्झुनू अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश सं. 13) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, September 16, 2013

No. F. 2 (35) Vidhi/2/2013.–In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan